"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 188] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 अगस्त 2005—श्रावण 21, शक 1927

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 अगस्त 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ-1-19/18/2005.—नगर पालिक निगम भिलाई जिला दुर्ग का कार्यकाल दिनांक 15 अगस्त 2005 को समाप्त होने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 423 (ख) के अधीन कलेक्टर, दुर्ग को दिनांक 16 अगस्त 2005 से आगामी आदेश पर्यन्त नगर पालिक निगम, भिलाई का प्रशासक नियुक्त करता है.

Raipur, the 12th August 2005

NOTIFICATION

No. F-1-19/18/2005.—As a consequence of term of Office of the Municipal Corporation, Bhilai is ending on 15-8-2005, therefore, under Section 423 (b) of Chhattisgarh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956) the State Government hereby, appoints District Collector, Durg as Administrator of Municipal Corporation, Bhilai with effect from 16-8-2005 till further orders.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जयसिंह म्हस्के, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2005.